ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00033

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 07/2016

1. शेर सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी 23 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 21 जीजी बुर्जवाली तहसील श्रीगंगानगर जरिये सरपंच संजय कुमार ग्राम पंचायत 21 जीजी बुर्जवाली।
2. अमृतपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व पट्टा ग्राम पंचायत 21 जीजी दिनांक 23.11.1999 कमांक 06 जो कि पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3/23.11.1999 से गांव 23 जीजी की आबादी में गली आम की जगह जो कि भू–खण्ड संख्या 48 के साथ लगती हुई पैमाइशी 40x100 फुट का गलत व यकतरफा तौर से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया बमुराद मनसुखिया।

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल छाबडा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 10.03.2021

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पट्टा दिनांक 23.11.1999 गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। इस गली से ही होकर ही जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है निगरानीकर्ता गांव की फिरनी में आता है इस प्रकार गली की जगह का पट्टा जारी होने तथा गलत निर्माण होने से उसको गांव की फिरनी में आने जाने में भारी बाधा पैदा हो गई है। इसी प्रकार अन्य गांववासियों को भी गांव की फिरनी में जाने के लिए आवागमन में बाधा पैदा हो रही है गांव के नक्शा की फोटो प्रति शामिल है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह गली की जगह पर भू–खण्ड काटकर पट्टा जारी किया गया है जबकि कानूनन गली की जगह का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पट्टा गलत तौर पर विधि विरूद्व जारी किया गया है। जिलाधीश द्वारा सन् 1975 में ही सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश जारी किये हुए थे कि गांव के चौंक व गली की जगह का किसी प्रकार से विक्रय अथवा पट्टा जारी ना किया जावें मगर अप्रार्थी संख्या 1 ने इसकी अनदेखी करके अप्रार्थी संख्या 2 से मिली भगत करके गलत तौर से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने ना तो कानूनी प्रकिया अपनायी ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की तथा ना ही किसी प्रकार से निगरानीकर्ता अथवा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सुनवाई का कोई अवसर दिया बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत तौर से पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार पट्टा को निरस्त कर अवैध निर्माण को हटवाया जाना तथा गली की जगह साफ करवायी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

जानी आवश्यक है। जिससे कि आवागमन सुचारू हो सके। वास्तव में ना तो पंचायत की कोई मीटिंग हुई ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया ना ही उच्च अधिकारीयों से तथा जिला प्रशासन से कोई मार्गदर्शन लिया गया क्योंकि गली की जगह में कानूनन भू–खण्ड ही नहीं काटा जा सकता था, इसके अलावा यह भी निवेदन है कि पट्टा में 200 रूपया दर्ज करवाने का दर्ज किया गया है जबकि गली की जगह 40X100 फुट काफी कीमती है इस प्रकार जानबूझकर पंचायत कोष को भी हानि पहुंचायी गई है। ग्राम पंचायत ने जानबूझकर नक्शा की नकल नहीं दी जो कि सूचना के अधिकार में प्राप्त करने के लिए कोशिश की गई थी, इस प्रकार जानबूझकर नक्शें की नकल नहीं दी गई। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 6/23.11.1999 जो कि गांव की गली की जगह का अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है को समस्त रिकॉर्ड मंगवाया जाकर पट्टा को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टा दिनांक 23.11.1999 गली से ही होकर ही जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है। गांव के नक्शा की फोटो प्रति शामिल है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह गली की जगह पर भू–खण्ड काटकर पट्टा जारी किया गया है जबकि कानूनन गली की जगह का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पट्टा गलत तौर पर विधि विरूद्व जारी किया गया है। जिलाधीश महोदय द्वारा सन् 1975 में ही सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश जारी किये हुए थे कि गांव के चौंक व गली की जगह का किसी प्रकार से विक्रय अथवा पट्टा जारी ना किया जावें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने इसकी अनदेखी करके अप्रार्थी संख्या 2 से मिली भगत करके गलत तौर से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने ना तो कानूनी प्रकिया अपनायी ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की तथा ना ही किसी प्रकार से निगरानीकर्ता अथवा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सुनवाई का कोई अवसर दिया बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत तौर से पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार पट्टा को निरस्त कर अवैध निर्माण को हटवाया जाना तथा गली की जगह साफ करवायी जानी आवश्यक है। इसके अलावा पट्टा में 200 रूपया दर्ज करवाने का दर्ज किया गया है जबकि गली की जगह 40X100 फुट काफी कीमती है इस प्रकार जानबूझकर पंचायत कोष को भी हानि पहुंचायी गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 6/23.11.1999 जो कि गांव की गली की जगह का अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. डी.एन.जे. 2018(4) पेज– 1660 से 1662
2. ए.आई.आर.1968 (JUDGMENT) (मांगीलाल–चुन्नीलाल बनाम मनीलाल वगैरा)

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित पट्टा वर्ष 1999 में काटा गया है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी वर्ष 2016 में पेश की है जो मियाद के बाहर है। प्रथम दृष्टया निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। ग्राम पंचायत के पास उक्त विवादित पट्टा का नक्शा ही नहीं है फिर यह कहना कि पट्टा काट दिया गलत है। क्योंकि नक्शा के बिना यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त विवादित जगह गली की है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट कमांक 196 दिनांक 14.02.2020 में कही अंकित नहीं किया है उक्त विवादित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

गली आम की जगह में है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.एल.डब्ल्यू 1999(3) पेज– 1390 से 1392

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो ... संख्या 6/23.11.1999 का

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि गैरनिगानीकर्ता संख्या 02 को जारी पट्टा संख्या 6/23.11.1999 का अवलोकन करने प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि उक्त विवादित पट्टा गली आम में जारी किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक 196 दिनांक 14.02.2020 के सलंग्न प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित पट्टा के पूर्व दिशा में 40 फुट की गली मौजूद है व उत्तर से दक्षिण भी 20 फुट की गली है। ग्राम पंचायत की आबादी का नक्शा मौजूद नहीं है ना ही आवंटित पट्टा से सम्बन्धित कोई पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा अपने रिकॉर्ड में होना बताया है। पट्टा के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित पट्टा 6/23.11.1999 गली आम (फिरनी की जगह) में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत गली आम की जगह में उक्त विवादित पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को जारी पट्टा 6/23.11.1999 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर